न्यायालयः– अपर सेशन न्यायाधीश संख्या–2, ब्यावर, जिला ब्यावर।

पीठासीन अधिकारी ::: गिरिजा भारद्वाज (RJS)
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

सेशन प्रकरण संख्या– 27/2019
सी.आई.एस. नम्बर– 05/2018

राजस्थान सरकार

—अभियोजन

बनाम

फूलचंद पुत्र सुवालाल मेघवाल, आयु 30 वर्ष, निवासी रामसर बलाईयान, पुलिस थाना ब्यावर सदर, जिला ब्यावर **—अभियुक्त**

(माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा S.B.Cri.Mis.Appl.No.376/2018 में पारित आदेश दिनांक 04.07.2018 की पालना में अभियुक्त की जाति अंकित नहीं की गई है)

अपराध अंतर्गत धारा 342, 366, 376, 376 (2)(एन) भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थितः–

1. विद्वान अपर लोक अभियोजक वास्ते अभियोजन।
2. श्री भगवत सिंह चौहान, विद्वान अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त ।

::निर्णय::

दिनांकः– 16.03.2026

(1) चूंकि यह मामला धारा 376, 376(2)(एन) भारतीय दंड संहिता से संबंधित है, इसलिए पीड़िता की पहचान प्रकट ना हो, इस हेतु पीड़िता के नाम के बजाय उसे **"पीडिता–एक्स"** के नाम से संबोधित किया जाएगा।

(2) अभियुक्त फूलचंद के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 342, 366, 366A, 376, 376(2)(N) भारतीय दण्ड संहिता में यह आरोप पत्र न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ब्यावर में पुलिस थाना ब्यावर शहर की ओर से पेश किया गया। जहां पर अभियुक्त फूलचंद के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 342, 366, 366A, 376, 376(2)(N) भारतीय दण्ड संहिता में प्रसंज्ञान लेने के पश्चात् प्रकरण न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश सं. 1, ब्यावर में कमिट किया गया, जहां से कालांतर में श्रीमान् जिला एवं

सेशन न्यायाधीश महोदय, अजमेर के आदेशानुसार प्रकरण अंतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

(3) प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 10.09.2017 को पीड़िता एक्स द्वारा दी गयी रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों के अनुसार उसके साथ उसके गांव का फूलचन्द लगभग दो–ढाई साल से उसके साथ बलात्कार करता चला आ रहा है, उसके द्वारा कई बार मना करने पर भी वो नहीं माना और कहता कि अगर तु घर वालों को बतायेगी तो तेरे भाई को मार दूंगा। उसका भाई एक ही है व कई सालों बाद हुआ है, इसलिये वह डर गयी और कुछ नहीं कहा। कई बार उसकी मां जमकु देवी व उसका भाई ओटा, सुन्दर व राजेन्द्र उसे बुलाकर उसके घर लेकर जाते और वहां पर फूलचन्द उसके साथ बलात्कार करता। दिनांक 09.09.17 को लगभग 12 बजे वह ब्यावर आयी और चांग गेट पर उत्तरी तो वहां पर फुलचन्द व उसका भाई सुन्दर गाडी लेकर आये और बोला कहा जा रही है, वह छोड़ देगा। वह बोली तहसील, फिर उसने कहां वह छोड़ देगा और वह उसकी गाड़ी पर बैठ गयी, वहां से उसे कहीं और जगह लेकर गया और कुछ पिलाकर बलात्कार किया और उसे वहां से कोर्ट लेकर आया और किसी कागज पर हस्ताक्षर करवाने लगा। उस समय उसका भाई कोर्ट में आया हुआ था तो उसने देख लिया और उसने अपने पापा व परिवार वालों को बुला लिया। उसके घर वाले उसे लेकर गये और वो लडका भाग गया। कई बार उसके साथ डरा–डरा कर फुलचन्द व उसके भाई उसे बहुत परेशान करते और उसके भाई को मारने की धमकी देते। उसने उसे डरा–डरा कर उसकी जिन्दगी खराब कर दी है.....इत्यादि।

(4) उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना ब्यावर शहर द्वारा मुकदमा नम्बर 566/2017 में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया और बाद अनुसंधान अभियुक्त फुलचंद के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 342, 366, 366A, 376, 376(2)(N) भारतीय दण्ड संहिता के तहत आरोप पत्र पेश किया गया।

(5) प्रकरण में आरोप बहस सुनी जाकर अभियुक्त फुलचंद को अपराध अंतर्गत धारा 342, 366, 376, 376(2)(N) भारतीय दण्ड संहिता में पृथक से आरोप विरचित कर सुनाए व समझाए गए तो अभियुक्त ने आरोप सुन समझकर आरोपित अपराध से इनकार किया एवं अन्वीक्षा चाही।

(6) अभियोजन पक्ष की ओर से जो साक्ष्य प्रस्तुत की गई है, वह इस प्रकार है:–

पी.डब्ल्यू. 01	डॉक्टर दीपाली मीणा
पी.डब्ल्यू. 02	गोविन्दराम
पी.डब्ल्यू. 03	रतनलाल
पी.डब्ल्यू. 04	रेखा
पी.डब्ल्यू. 05	गणेशराम
पी.डब्ल्यू. 06	पीडिता
पी.डब्ल्यू. 07	नैनी देवी
पी.डब्ल्यू. 08	पृथ्वी सिंह
पी.डब्ल्यू. 09	डॉक्टर महेन्द्र सिंह
पी.डब्ल्यू. 10	डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव
पी.डब्ल्यू. 11	संजय कुमार
पी.डब्ल्यू. 12	मदनलाल
पी.डब्ल्यू. 13	छगनलाल
पी.डब्ल्यू. 14	मुकेश कुमार
पी.डब्ल्यू. 15	किशन
पी.डब्ल्यू. 16	राजेन्द्र
पी.डब्ल्यू. 17	रामनिवास
पी.डब्ल्यू. 18	सुखपाल
पी.डब्ल्यू. 19	यशवंत सिंह

(7) अभियोजन पक्ष की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में निम्न दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित करवाए गएः–

प्रदर्श की संख्या	विवरण दस्तावेज
1	पीडिता की मेडिकल रिपोर्ट
2	फर्द पेशकशी एवं जब्ती एक पुरानी इस्तेमाली अण्डरवीयर बरंग गहरा नीला
3	फर्द निरीक्षण नक्शा मौका घटनास्थल मरूधर गेस्ट हाउस सेंदड़ा रोड, ब्यावर

4	गवाह गणेशराम के पुलिस बयान
5	तहरीरी रिपोर्ट
6	एफ.आई.आर
7	पीडिता के धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान
8	गवाह नैनी देवी के पुलिस बयान
9	पेसेंजर रजिस्टर
10	अभियुक्त फुलचंद की मेडिकल रिपोर्ट
11	फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी अभियुक्त फुलचंद
12	फर्द जब्ती एक मोटरसाईकिल हीरो स्पलेण्डर प्लस नम्बर आर जे 36 एस एफ 9464
13	फर्द पेशकशी एवं जब्ती एक पुरानी इस्तेमाली अण्डरवियर बरंग भूरा
14	गवाह मदनलाल के पुलिस बयान
15	गवाह छगनलाल के पुलिस बयान
16	गवाह मुकेश कुमार के पुलिस बयान
17	गवाह किशनलाल के पुलिस बयान
18	कार्यालय पुलिस उप अधीक्षक वृत्त ब्यावर द्वारा राजेन्द्र को दिया गया धारा 133 एम.वी. एक्ट का नोटिस
19ए	मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति
20	थानाधिकारी पुलिस थाना ब्यावर सिटी द्वारा पुलिस अधीक्षक, अजमेर को प्रकरण में सील्डशुदा पैकेट/जार को वास्ते परीक्षण एफएसएल जयपुर भिजवाने बाबत प्रेषित पत्र
21	पुलिस अधीक्षक, जिला अजमेर द्वारा निदेशक, राज्य पुलिस विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर को प्रेषित पत्र
22	प्राप्ति रसीद
23 व 24	एफएसएल रिपोर्ट

(8) अभियुक्त के विरूद्ध आयी साक्ष्य के स्पष्टीकरण हेतु उसके बयान अन्तर्गत धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता लिए गए तो अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया तथा कथन किया कि वह निर्दोष हैं एवं उसे झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त ने अपने बचाव में निम्न दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये।

प्रदर्श की संख्या	विवरण दस्तावेज

प्रदर्श डी 1	विवाह बाबत शपथ पत्र
प्रदर्श डी 2	मुद्रांकों के दैनिक बिक्री की पंजिका
प्रदर्श डी 3	फोटोग्राफ
प्रदर्श डी 4	गणगौर स्टूडियों एण्ड कलर लैब की पर्ची
प्रदर्श डी 5	पेसेंजर रजिस्टर की प्रति

(9) पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह अभिनिर्धारित किया जाना है किः–

"क्या मुल्ज़िम द्वारा दिनांक 09.09.2017 को पीडिता के साथ अयुक्त संभोग के आशय से उसका अपहरण किया व सदोष परिरोध कारित करते हुए उसकी सहमति के बिना व इच्छा के विरूद्ध उसके साथ बलात्कार कारित किया। तत्पश्चात् विभिन्न दिवसों पर बार–बार उसके साथ उसकी सहमति के बिना व इच्छा के विरूद्ध उसके साथ बलात्कार किया ?"

यदि हां, तो उचित दण्ड क्या होगा?

(10) अधिवक्ता अभियुक्त ने बहस के दौरान निवेदन किया है कि पीडिता के बयानों में विरोधाभास है तथा उसके धारा 164 के बयान तथा न्यायालय बयानों में अंतर है। प्रदर्श डी 1 से यह दर्शित होता है कि स्वंय पीडिता द्वारा क्रय किया गया था तथा पीडिता के भाई के न्यायालय परिसर में आ जाने पर पीडिता द्वारा दबाव में झूठी रिपोर्ट दर्ज करायी है जबकि वास्तविक मामला पीडिता और मुल्ज़िम के बीच प्रेम संबंध का था। जबकि अभियोजन द्वारा उक्त तर्कों का विरोध किया गया।

(11) मेरे द्वारा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का बारिकी से अवलोकन किया गया। अभियोजन द्वारा अपने मामले को प्रमाणित करने के लिए कुल 19 अभियोजन साक्षियों को न्यायालय के समक्ष पेश करके परीक्षित कराया है तथा दस्तावेजी साक्ष्य में 1 लगायत 24 दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं।

(12) अभियोजन की तारांकित साक्षी स्वयं पीडिता है जो कि अभियोजन साक्षी पी डब्ल्यू 6 के रूप में न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुई है। प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श 5 स्वयं पीडिता के हस्ताक्षरशुदा दर्ज करायी गयी है जिसका संक्षेप में अभिकथन इस प्रकार हैं कि पीडिता के साथ उसके गांव का फूलचंद पुत्र सुवालाल लगभग दो–ढाई साल से बलात्कार करता चला आ रहा है और कई बार मना करने

पर भी नहीं मानता है और कहता है कि यदि तू तेरे घरवालों को बताएगी तो तेरे भाई को मार दूंगा। पीडिता का एक ही भाई है जो कई सालों बाद हुआ है इसलिए व डर गयी और कुछ नहीं कहा । कई बार इसकी मां झमकू देवी व उसका भाई ओटा व सुंदर व राजेन्द्र पीडिता को बुलाकर उसे घर लेकर जाते और वहां पर मुल्ज़िम द्वारा उसके साथ बलात्कार किया गया। दिनांक 09.09.2017 को लगभग 12 बजे पीडिता ब्यावर आयी और चांग गेट पर उतरी तो वहां पर फूलचंद व उसका भाई सुंदर गाडी लेकर आये और बोला कि कहां जा रही है मैं छोड देता हूं। पीडिता डर गयी और बोली तहसील उसने कहां मैं छोड देता हूं इसलिए वह उसकी गाडी पर बैठी वहां वह उसे कहीं और जगह लेकर गया और कुछ पीलाकर बलात्कार किया और वहां से कोर्ट लेके आया और किसी कागज पर हस्ताक्षर करवाये। उस समय उसका भाई कोर्ट में आया हुआ था तो उसने देख लिया और उसने पीडिता के पिता व परिवार वालों को बुला लिया और पीडिता के घरवाले उसे लेकर चले गये तथा वो लडका भाग गया। कई बार डरा धमकाकर मुल्जिम व उसका भाई उसे परेशान करते हैं और भाई को मारने की धमकी देतें है। मुल्ज़िम ने डरा धमकाकर उसकी जिंदगी खराब कर दी है। पीडित द्वारा उक्त आशय की रिपोर्ट देने पर प्रकरण अंतर्गत धारा 376 भारतीय दण्ड संहिता दर्ज किया गया तथा बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध धारा 342, 366, 366ए, 376, 376(2)(एन) भारतीय दण्ड संहिता में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। आरोप पत्र प्रस्तुतीकरण के उपरांत मुल्जिम को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 342, 366, 376, 376(2)(एन) भारतीय दण्ड संहिता के तहत आरोप विरचित करके सुनाए व समझाए गये। उक्त आरोपों के प्रमाणीकरण के लिए पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को विवेचन व विश्लेषण निम्न अनुसार हैः–

(13) आरोपों के प्रमाणीकरण के लिए निम्न बिन्दुओं के तहत साक्ष्य का विवेचन किया जा रहा हैः–

(A) मेडिकल साक्ष्य (B) विधि विज्ञान प्रयोगशाला की साक्ष्य (C) भौतिक साक्ष्य (D) दस्तावेजी साक्ष्य (E) मौखिक साक्ष्य

(A) मेडिकल साक्ष्यः–

(i) पत्रावली पर उपलब्ध मेडिकल साक्ष्य का अवलोकन करने पर सामने आता है कि अभियोजन साक्षी डॉक्टर दीपाली मीणा पी डब्ल्यू 1, पीडब्ल्यू 9 डॉक्टर

महेन्दसिंह व डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव पी डब्ल्यू 10 चिकित्सकीय साक्षी के रूप में विद्यमान है। डॉक्टर दीपाली मीणा द्वारा 11.09.2017 को पीडिता का मेडिकल मुआयना बोर्ड द्वारा किया जाना तथा उसमें डॉक्टर महेन्द्र सिंह का विद्यमान होना तथा पीडिता की मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श 1 होना और उस पर ए से बी अपने हस्ताक्षर तथा सी से डी पीडिता के हस्ताक्षर व एक्स स्थान पर उसके अंगूठा निशानी होना गवाह ने अपनी साक्ष्य में अभिकथित किया है। गवाह ने अभिकथन किया है कि उसकी राय के अनुसार **तात्कालीक रूप से बलपूर्वक लैंगिक हमले के कोई चिह्न पीडिता के परीक्षण पर दर्शित नहीं हुए और पीडिता के शरीर पर किसी प्रकार की कोई चोट व खरोंच के निशान नहीं थे।** इसी प्रकार की साक्ष्य डॉक्टर महेन्द्र सिंह पी डब्ल्यू 9 द्वारा दी गयी है तथा परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श 1 पर अपने हस्ताक्षर आई से जे भाग में होना गवाह ने बताया है। गवाह ने जिरह में स्वीकार किया है कि **पुलिस तहरीर के अनुसार पीडिता 19 वर्ष की थी और उम्र संबंधी कोई परीक्षण उनके द्वारा नहीं किया गया था।** गवाह पी डब्ल्यू 10 डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव द्वारा मुल्जिम का मेडिकल मुआयना करना जिसके संबंध में रिपोर्ट प्रदर्श 10 तैयार किया जाना और ए से बी स्वयं के हस्ताक्षर व सी से डी फूलचंद के हस्ताक्षर व एक्स स्थान पर मुलजिम की अंगूठा निशानी होना गवाह ने बताया है। जिरह के दौरान स्वीकर किया है कि **फूलचंद के चेहरे व शरीर पर किसी प्रकार की चोट व खरोंच के निशान नहीं थे।** इस प्रकार चिकित्सकीय साक्षियों की साक्ष्य से कोई महत्वपूर्ण तथ्य जो कि घटना घटित होने के संबंध में किसी प्रकार का संकेत देते हों, दर्शित नहीं होते हैं।

(B) विधि विज्ञान प्रयोगशाला की साक्ष्य

(i) पत्रावली पर प्रदर्श 20 लगायत 24 विधि विज्ञान प्रयोगशाला से रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु हुए पत्र संव्यवहार के उपरांत प्राप्त हुई एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श 23 व 24 है। प्रदर्श 23 के अनुसार एफआईआर नम्बर 566/2017 पीएस ब्यावर सिटी के प्रकरण में स्पेशल मेसेंजर रोहिताश कुमार 2053 द्वारा 4 पैकेट 'ए' 'ब' 'ए' 'ए' पूर्णतया सीलशुदा विधि विज्ञान प्रयोगशाला में प्रस्तुत किए जिन्हें अलग–अलग प्रदर्श से अंकित किया गया तथा बाद परीक्षण पीडिता के अधोवस्त्र मानव सिमन की उपस्थिति पैकेट मार्क 'ए' प्रदर्श 1 व अभियुक्त के अधोवस्त्र पैकेट मार्क 'बी' प्रदर्श 2 में पायी गयी। इसके अतिरिक्त सिरोलॉजी विभाग को भेजे गये पैकेट से किसी प्रकार का कोई

निष्कर्ष प्राप्त नहीं हुआ जो कि प्रदर्श 24 के अनुसार किसी प्रकार की कोई राय 'Inconclusive' प्राप्त होना दर्शित करता है। प्रकरण में प्रदर्श 22 प्राप्ति रसीद रोहिताश कुमार 2053 द्वारा प्राप्त की गयी।

(C) भौतिक साक्ष्य

(i) भौतिक साक्ष्य के तहत पीडिता के अधोवस्त्र प्रदर्श 2 के माध्यम से जब्त किए गए जिसके साक्षी पी डब्ल्यू 3 रतनलाल व पी डब्ल्यू 4 रेखा हैं। उक्त साक्षी पी डब्ल्यू 3 ने न्यायालय के समक्ष अपने बयानों में कहा है कि हस्ताक्षर कराने वाली फर्दों के उपर मेडिकल संबंधी व अन्य फाईल के बारे में विवरण लिखा हुआ है। यह सही है कि पीडिता के मेडिकल के अलावा अन्य कोई कार्यवाही पुलिस ने उसके समक्ष नहीं करी। इसी प्रकार साक्षी पी डब्ल्यू 4 ने न्यायालय बयानों में अभिकथित किया है कि प्रदर्श 2 पर क्या लिखा हुआ है इस बारे में उसे नहीं पता। पुलिस ने साईन करवाये थे। इसके अलावा उसे कुछ नहीं पता। इसी प्रकार अभियुक्त के अधोवस्त्रों की जब्ती प्रदर्श 13, दिनांक 14 सितम्बर 2017 को बनायी गयी है जिसके कि साक्षी संजय कुमार हेड कॉन्स्टेबल व सुखपाल कॉन्स्टेबल हैं जो कि क्रमशः पी डब्ल्यू 11 व पी डब्ल्यू 18 के रूप में न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुए हैं। पी डब्ल्यू 11 ने अपने बयानों में अभियुक्त द्वारा अपने अधोवस्त्र प्रस्तुत करने पर उसकी जब्ती प्रदर्श 13 बनाया जाना बताया है, जिस पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है। इसके अतिरिक्त गवाह पी डब्ल्यू 18 द्वारा भी अभियुक्त द्वारा अपने पहने हुए अधोवस्त्रों को प्रस्तुत करने पर जरिए फर्द जब्ती जब्त करना और मार्क 'बी' अंकित करना और उसके संबंध में फर्द प्रदर्श 13 होना बताया है। जिरह में गवाह ने कहा है कि मैं नहीं कह सकता कि उस रोज मुल्ज़िम ने जो अधोवस्त्र पहन रखे थे वहीं उसने घटना के दौरान पहन रखे हों। इस प्रकार पीडिता के जब्तशुदा अधोंवस्त्रों के संबंध में अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य सुदृढ़ नहीं है व अभियुक्त के अधोवस्त्रों की जब्ती के संदर्भ में अभियोजन साक्षी की साक्ष्य में इस संदर्भ में अनभिज्ञता जाहिर करी है कि अभियुक्त से जब्त किए गए वस्त्र वहीं वस्त्र हों जो उसने घटना के दिन पहन रखे हों। हालांकि इस संबंध में स्वंय पीडिता पी डब्ल्यू 6 अपने बयानों में प्रदर्श 2 अपने अधोवस्त्रों की जब्ती पर अपने हस्ताक्षर ई से एफ होना बताती है।

(D) दस्तावेजी साक्ष्य

(i) दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में पत्रावली पर अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श 9

पेसेंजर रजिस्टर है व प्रदर्श 19ए मालखाना रजिस्टर महत्वपूर्ण हैं। प्रदर्श 9 पेसेंजर रजिस्टर के संदर्भ में अनुसंधान अधिकारी द्वारा गवाह पृथ्वी सिंह को बतौर अभियोजन साक्षी शामिल किया गया है, जिसके अनुसार दिनांक 16.08.2017 को गवाह अपने गेस्ट हाउस मरूधर पर था और दिनांक 16.08.2017 को फूलचंद व पीडिता उसके गेस्ट हाउस में आये थे, उन्होंने कहा था कि हम अजमेर से आये हैं तथा ब्यावर जन्माष्टमीपर मेला देखने आये हैं। उन्होंने कमरा मांगा था, मैंने उनसे उनका आधार कार्ड मांगा था तो उन्होंने आधार कार्ड होना नहीं बताया और पहचान पत्र के रूप में उन्होंने बाईक की आर.सी. दी थी जिसमें उनका नाम फूलचंद आ रहा था। मैंने उनको रूम नम्बर 4 दिया था। **गेस्ट हाउस के रजिस्टर के क्रमांक 682 में इनका इन्द्राज हो रखा है जो कि प्रदर्श पी 9 है।** उक्त प्रदर्श पी 9 के संबंध में प्रतिरक्षा में प्रदर्श 9 को अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा भी प्रदर्श डी 5 के रूप में अपनी साक्ष्य में प्रदर्शित करवाया है। जिरह में गवाह ने स्वीकार किया है कि **प्रदर्श डी 5 पर ए से बी स्थान पर पीडिता के हस्ताक्षर हैं जो कि मेरे सामने किए थे तथा पीडिता ने राजी–खुशी व बिना नशे–पते व प्रथम दृष्टया पीडिता मुझे कहीं डरी हुई नजर नहीं आ रही थी।** पीडिता के हस्ताक्षर के सामने उसकी पहचान पत्र बाबत जो आईडी उसकी पहचान संख्या उसके सामने अंकित है। पीडिता द्वारा मुझे व किसी होटल कर्मचारी को यह नहीं कहा था कि उसे फूलचंद डरा–धमकाकर लाया हो। **इस संदर्भ में दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श 12 जो कि फर्द जब्ती मोटरसाईकिल है, के तहत बनायी गयी जब्ती में उल्लिखित ईंजन नम्बर व चेसिस नम्बर व वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर ईंजन नम्बर व चेसिस नम्बर वह नहीं हैं जो कि पैसेंजर नम्बर रजिस्टर में है।** पैंसेजर रजिस्टर में उल्लिखित गाड़ी का नम्बर और आईडी किसकी है इस संबंध में अभियोजन की कोई साक्ष्य नहीं है व ना ही मूल रजिस्टर न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है। गवाह पृथ्वी सिंह के बयानों के अनुक्रम में अभियोजन की इस संदर्भ में पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श 18 को दृष्टिगत रखा जाए तो यह प्रदर्श 18 धारा 133 एमवी एक्ट का नोटिस है जो कि राजेन्द्र पुत्र सुवालाल को दिया गया है और इसमें भी उल्लिखित मोटरसाईकिल का नम्बर वो नहीं है जो आईडी पैसेंजर रजिस्टर में अंकित है। पैंसेजर रजिस्टर में उल्लिखित आईडी किसकी है यह अभियोजन साक्षी से स्पष्ट नहीं है जिसके संदर्भ में अभियोजन साक्षी पीडब्ल्यू 16 परीक्षित हुआ है,

जिसने अपने बयानों में अभिकथित किया है कि वह मोटरसाईकिल नम्बर आर जे 36 एस एफ 9464 का पंजीकृत स्वामी है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी 19ए है जिसके संबंध में अभियोजन साक्षी पीडब्ल्यू 17 रामनिवास परीक्षित हुआ है। इस प्रकार दस्तावेजी साक्ष्य पेसेंजर रजिस्टर व गवाह पृथ्वी सिंह के बयानों से दिनांक 16.08.2017 को फूलचंद व पीड़िता उसके गेस्ट हाउस में आए थे व रूके थे तथा प्रदर्श डी 5 जो कि प्रदर्श 9 भी है, पर राजीखुशी पीड़िता द्वारा हस्ताक्षर करना बताता है व उनसे आई.डी. भी प्राप्त करना बताता है। हालांकि मोटरसाईकिल की जो आई.डी. का अंकन है, इस संबंध में कोई अनुसंधान नहीं है तथा पीड़िता की आई.डी. का कोई अनुसंधानिक रिकॉर्ड नहीं है, ना ही पीड़िता के साईन ना हो, ऐसी कोई जिरह अभियोजन की है। गवाह पी.डब्ल्यू. 2 गोविंदराम अपनी साक्ष्य में यह स्वीकार करता है कि वह सुनी–सुनाई बात कह रहा है बाकि उसे कुछ नहीं पता। नक्शा मौका का गवाह रतनलाल पी.डब्ल्यू. 3 अपनी जिरह में कहता है कि नक्शा मौका व फर्द जब्ती पर उसके हस्ताक्षर हैं लेकिन कहां करवाये उसे पता नहीं है। इसी प्रकार नक्शा मौका के अन्य गवाह रेखा इस तथ्य के संबंध में अनभिज्ञता जाहिर करती है कि जब उसने प्रदर्श पी 3 पर हस्ताक्षर किए थे तब पेपर भरा हुआ था या खाली था। गवाह **पी.डब्ल्यू. 5 गणेशराम** जो कि पीडिता के पिता हैं, ने कहा कि फूलचंद नाम के व्यक्ति ने पीड़िता के साथ हाथापाई की थी। पीड़िता मेरी बेटी है। मेरी बेटी ने बताया कि फूलचंद ने मेरे साथ जबरदस्ती की। यह सही है कि इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। मैं सुनी–सुनाई बात बता रहा हूं। मैंने फूलचंद द्वारा पीड़िता के साथ दो–ढाई साल से बलात्कार करने वाली बात नहीं बताई। पुलिस बयान प्रदर्श 4 का ए से बी भाग जिसमें अंकित है कि (जब मेरे को मेरे भाई के लड़के रतनलाल ने सुचना दी कि पीड़िता कोर्ट में खड़ी है और उसके साथ गांव का फुलचन्द मेघवाल है। इस पर मैं कोर्ट गया व पीड़िता को साथ लेकर आये थे। घर आने के बाद पीड़िता ने हमे बताया कि मेरे साथ फूलचन्द पुत्र श्री सुवालाल मेघवाल लगभग 2–2.6 साल से बलात्कार करता चला आ रहा है।) मैंने पुलिस को नहीं बताया। **पीड़िता ने पहले के बारे में कुछ नहीं बताया, उसी दिन के बारे में बताया।** पहले वह बहन–बहन कहता था। पुलिस बयान प्रदर्श पी 4 का सी से डी भाग जिसमें अंकित है कि (मेरे द्वारा कई बार मना करने पर भी वो नहीं माना और कहता कि

अगर तु तेरे घर वालो को बतायगी तो मैं तेरे भाई को मार दूंगा इसलिये मैं डर गयी कि वास्तव में वह मेरे भाई को मार देगा और कुछ नहीं कहा। कई बार फुलचन्द की मां जमकु देवी व उसका भाई मोटा व सुन्दर व राजेन्द्र मुझे बुलाकर अपने घर लेकर जाते और वहां पर फुलचन्द मेरे साथ बलात्कार करता।) मैंने पुलिस को नहीं बताया। पुलिस बयान का ई से एफ भाग जिसमें अंकित है कि (दिनांक 16.08.2017 को समय करीब 2.00 पी.एम. पर मैं किसी काम से ब्यावर गयी तो फुलचन्द मुझे चांग गेट पर मिला था। वह मोटरसाईकिल पर था। उसने मुझे डराया व धमकाया और मुझे चांग गेट पर स्थित मरूधर गेस्ट हाउस में ले गया और मेरे साथ उसने जबरदस्ती गलत काम किया और मुझे करीब शाम को पांच बजे छोडा था। उसके बाद आज दिनांक 09.09.2017 को लगभग 12 बजे मैं ब्यावर गयी और चांग गेट पर खड़ी थी तो वहां पर फुलचन्द व उसका भाई सुन्दर मोटरसाईकिल लेकर आये और बोला कहां जा रही है। मैं छोड देता हूँ। मैं डर गयी और बोली तहसील जा रही हूँ। मुझे तहसील से बहिन व भाई के लिये छात्रवृति के फॉर्म लाने थे। उसने कहां मैं छोड देता हूँ। मैं डर के मारे उसकी मोटरसाईकिल पर बैठ गयी) मैंने पुलिस को बताया था।

(ii) पीड़िता पी.डब्ल्यू. 6 जो कि प्रकरण की तारांकित साक्षी है, ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह फूलचंद को जानती है। एक दिन चांग गेट पर आयी थी, वहां फूलचंद उसको मिला था। वह अपने भाई बहिन के छात्रवृति के कागज बनाने के लिए तहसील में जा रही थी। वह उसको जानती थी इसलिए उसके साथ बैठ गई और उसने किसी ज्यूस की दुकान पर उसे ज्यूस पिलाया। फिर वह बेहोश हो गई थी। उसके बाद उसने उसके साथ गलत काम किया। उसके बाद उसने उसे डराया धमकाया कि वह जो कहेगा वो नहीं करोगी तो उसके भाई को मार देगा और फिर उसके बाद उसे कोर्ट में लाया और किसी कागज पर साईन कराने लग गया। कोर्ट में उसका बड़ा भाई था जिसने उसे देख लिया और फिर उसके माता पिता को बोला। फिर उसके माता पिता उसे घर ले गए। फूलचंद ने मरूधर होटल में उसके साथ गलत काम किया। जिरह में गवाह का कथन रहा है कि यह बात सही है कि मेरी जन्मतिथि 10.06.1998 है। प्रदर्श पी 5 का पैरा संख्या 1 का पूरा भाग मैंने अपने मुख्य परीक्षण में नहीं बताया। यह बात सही है कि मरूधर होटर में होटल के कर्मचारी व और भी लोग आते–जाते रहते हैं। **यह सही है कि प्रदर्श डी 1 पर मेरी फोटो लगी हुई है तथा ए से बी भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं व स्टाम्प की पुश्त पर भी ए से बी भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। यह सही है कि**

प्रदर्श डी 1 जब मैं खरीदने आई उस दिन भी न्यायालय परिसर में इतनी ही भीड़ थी जिनकी आज न्यायालय परिसर में थी। यह सही है कि प्रदर्श डी 2 पर ए से बी भाग पर मेरे हस्ताक्षर है जो सही हैं। मैं कोर्ट में फूलचंद के साथ आई, प्रदर्श डी 1 खरीदते समय होश हवाश में थी। यह कहना सही है कि फूलचंद और हमने विवाह बाबत लिखा–पढ़ी की उसी समय मेरा भाई आ गया और मुझे लेकर चला गया। मैंने फूलचंद को कोई लेटर नहीं लिखा। फूलचंद को लिखे गए पत्रों पर मेरे हस्ताक्षर हो तो मुझे पता नहीं कि कब हस्ताक्षर कराए। **हम जिस दिन कोर्ट में आए थे उस दिन मैंने व फूलचंद ने साथ में फोटो खिंचवाई जो प्रदर्श डी 3 हैं तथा उसके साथ में गणगौर स्टूडियों की पर्ची प्रदर्श डी 4 है।** मेरी शादी को आठ साल हो गए। मैं राजीखुशी अपने पति के पास रह रही हूँ। मेरे तीन बच्चे हैं। **यह सही है कि चांग गेट एक भीड–भाड़ वाला क्षेत्र है जहाँ हर समय पुलिस रहती हैं।** मैंने वहाँ किसी को नहीं बताया क्योंकि फूलचंद को मैं जानती थी। **यह सही है कि प्रदर्श पी 3 पर मेरे हस्ताक्षर ई से एफ पुलिस वालों ने थाने पर ही करवाए। यह कहना सही है कि मैंने अपने पुलिस बयानों में कहीं पर भी ज्यूस पिलाकर बेहोश करकर फूलचंद द्वारा ले जाने वाली बात नहीं लिखवाई।** मेरे द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में ज्यूस पिलाने के बाद जो बेहोश होने वाली बात बताई है उसके बारे में यह कहना हैं कि मैं पूरी तरह बेहोश नहीं हुई थी लेकिन यह नहीं पता था कि कहाँ ले जा रहा है। यह सही है कि मैं पूरी तरह बेहोश नहीं थी व मोटरसाईकिल से उतरने व भागने की कोशिश नहीं की थी। **यह बात सही है कि कोई भी 18 वर्ष से उपर की लड़की किसी होटल में जाती हैं तो उसके हस्ताक्षर करवाए जाते हैं** फिर खुद कहा कि मुझे मेरे भाई के मारने की धमकी दे रखी थी इसलिए मैंने सबकुछ ऐसा किया। **यह सही है कि प्रदर्श डी 5 पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं जो मरूधर होटल के रजिस्टर का पेज हैं।** प्रदर्श डी 5 पर मेरे हस्ताक्षर के सामने मेरे आधार कार्ड के नंबर लिखे हो तो मुझे पता नहीं क्योंकि मुझे मेरे आधार कार्ड के नंबर याद नहीं है। **यह सही है कि 16.08.2017 को मैंने मरूधर होटल के मैनेजर व अन्य कर्मचारियों को रजिस्टर पर हस्ताक्षर करते हुए यह नहीं बताया कि फूलचंद मुझे डरा धमकाकर जबरदस्ती यहाँ लेकर आया।** यह कहना गलत है कि मैं और फूलचंद एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे और हमारे परिवार वालों के दबाव में मैंने यह मुकदमा दर्ज कराया हो।

(iii) गवाह पी.डब्ल्यू. 07 नैनी देवी ने बयान दिए हैं कि **मेरा जेठूता रतनलाल ने पीडिता और फूलचंद को कोर्ट में साथ में देखा।** रतनलाल ने मुझे फोन कर बताया कि पीडिता और फूलचंद कोर्ट में क्या कर रहे है। फिर हमको मालूम पड़ा तो हम आए। फिर

वे पीडिता को कोर्ट से घर ले गए। फिर पीडिता ने उसे बताया कि फूलचंद उसे परेशान कर रहा है और पीडिता ने मुझे बताया कि मेरे साथ फूलचंद ने गलत काम भी किया है। यह बात सही है कि मेरे पुलिस बयान प्रदर्श पी 8 का ए से बी भाग मैंने पुलिस को बताया था। यह कहना सही है कि मेरी बेटी पीड़िता ने जो बात मुझे बतायी वो ही मैं बता रही हूं। यह कहना सही है कि पुलिस में मेरे बयान नहीं हुए।

(iv) गवाह पी डब्ल्यू 12 मदनलाल जो कि पक्षद्रोही घोषित हुआ है, ने बयान दिए हैं कि वह फूलचंद को जानता है। फूलचंद के साथ क्या घटना हुई उसे पता नहीं है। उसके पुलिस को कोई बयान नहीं हुए थे। प्रदर्श पी 14 का ए से बी भाग मेरे द्वारा नहीं दिया गया। उसे फूलचंद और पीडिता के संबंध में घटना संबंधी कोई जानकारी नहीं है। गवाह पी.डब्ल्यू. 13 छगनलाल जो भी प्रकरण में पक्षद्रोही घोषित हुआ है, ने अपने बयानों में कथन किया कि गणेशराम व सुआलाल को गांव में रहने के कारण वह जानता है। वह गणेशराम की लड़की पीडिता को नहीं जानता है। गणेशराम की लड़की पीडिता व फूलचंद के बीच कोई विवाद हुआ हो तो उसे इसकी जानकारी नहीं है। उसके पुलिस में कोई बयान नहीं हुए थे। प्रदर्श पी 15 का ए से बी भाग उसने पुलिस को नहीं बातया। गवाह पी. डब्ल्यू. 14 मुकेश कुमार जो भी प्रकरण में पक्षद्रोही घोषित हुआ है, ने अपने बयानों में कथन किया है कि वह होटल पर काम करता है। वह गणेशराम व सुआलाल को नहीं जानता है। उसे गणेशराम की लड़की व फूलचंद के बीच कोई घटना घटित हुई हो तो जानकारी नहीं है। उसके पुलिस में कोई बयान नहीं हुए। उसने पुलिस बयान प्रदर्श पी 16 का ए से बी भाग पुलिस को नहीं बताया। गवाह पी.डब्ल्यू. 15 किशन जो भी प्रकरण में परीक्षित हुआ है, ने अपने बयानों में कथन किया है कि वह ईंट के भट्टे पर मजदूरी का कार्य करता है। वह गणेशराम व सुआलाल को नहीं जानता है। वह इनके बच्चों को भी नहीं जानता है। गणेशराम की लड़की व सुआलाल के लड़के के बीच आपस में कोई विवाद हुआ हो तो उसे इसकी जानकारी नहीं है। उसके पुलिस में कोई बयान नहीं हुए। उसने पुलिस बयान प्रदर्श पी 17 का ए से बी भाग पुलिस को नहीं बताया।

(v) **गवाह पी.डब्ल्यू. 19 यशवंत सिंह** ने अपने मुख्य परीक्षण के बयानों में कथन किया है कि दिनांक 10.09.2017 को थानाधिकारी ब्यावर सिटी के पद पर कार्यरत थे। उस रोज परिवादिया ने अपने पिता के साथ उपस्थित थाना होकर एक हस्तलिखित उनके समक्ष पेश की थी जिस पर उनके द्वारा कार्यवाही पुलिस का पृष्ठांकन कर मुकदमा नंबर 566/17 धारा 376 भा.द.स. में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। परिवादिया द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट प्रदर्श पी 5 है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 6 है। दौराने अनुसंधान गवाहान के बयान उनके

कथनानुसार लेखबद्ध किए गए। फर्द जब्ती प्रदर्श पी 2 है। नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 है। मरूधर गेस्ट हाउस के रिकॉर्ड की प्रति प्रदर्श पी 9 है। पीड़िता का मेडिकल मुआयना प्रदर्श पी 1 है। आरोपी फूलचंद की गिरफतारी प्रदर्श पी 11 है। घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल हीरो स्पलेंड प्लस आर जे 36 एस एफ 9464 की फर्द जब्ती प्रदर्श पी 12 है। आरोपी फूलंचद का पोटेन्सी टेस्ट रिपोर्ट प्रदर्श पी 10 है। जब्तशुदा आर्टिकल को एफएसएल परीक्षण हेतु कानि. 2053 रोहिताश के साथ पुलिस अधीक्षक अजमेर को भेजा गया पत्र प्रदर्श पी 20 है। पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय से निदेशक विधि विज्ञान प्रयोगशाला को जारी पत्र की रसीद प्रदर्श पी 22 है। मूल एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी 23 व प्रदर्श पी 24 हैं। एम वी एक्ट का नोटिस प्रदर्श पी 18 है। बाद अनुसंधान उनके द्वारा आरोपी फूलचंद के विरूद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया। जिरह में गवाह का कथन है कि यह सही है कि प्रदर्श पी 5 में अंकित आई से जे स्थान पर अंकित ''कुछ पिला दिया गया हो'' इस संदर्भ में पीड़िता के पास कोई चिकित्सक की पर्ची या परीक्षण नहीं था और ना ही मेरे द्वारा इस संदर्भ में कोई चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। यह कहना सही है कि एफआईआर के कथन के से एल के संदर्भ में मेरे द्वारा पीड़िता की निशादेही से किसी भी अधिवक्ता या नोटेरी से कोई पूछताछ अथवा बयान नहीं लिए गए। यह सही है कि एफआईआर प्रदर्श पी 5 में अंकित कथन कि फूलचंद मेरे पिछले दो ढाई साल से मेरा बलात्कार कर रहा हो, इस संबंध में पीडिता द्वारा मुझे कोई पूर्व में रिपोर्ट नहीं दी गयी। यह सही है कि चांग गेट भीड–भाड़ वाला क्षेत्र है और वहां एक पुलिस चौकी लगती है। यह सही है कि प्रदर्श पी 3 पर किसी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं है। मोटरसाईकिल जो जब्त की थी वो किस रंग की थी यह मैं नहीं बता सकता हूं। यह सही है कि पीडिता के कथनों अनुसार ''ज्यूस पिलाने वाली बात'' के संदर्भ में ज्यूस कहां पिलाया गया, किस दुकान पर पिलाया गया, इस संदर्भ में मेरे द्वारा कोई अनुसंधान नहीं किया गया। यह कहना गलत है कि मुल्ज़िम के विरूद्ध गलत आशय का आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। यह कहना गलत है कि पीडिता व मुल्ज़िम दोनों आपस में प्रेम करते हो।

(vi) मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन साक्षियो की साक्ष्य का सुक्ष्मता से अवलोकन व विश्लेषण किया गया। प्रकरण का प्रारंभ परिवादीया द्वारा दिनांक 10.09.2017

को थानाधिकारी ब्यावर सिटी को प्रस्तुत रिपोर्ट से हुआ जिसमें पीडिता ने दो–ढाई साल से अपने साथ अभियुक्त द्वारा बलात्कार किए जाने का उल्लेख किया व दिनांक 09.09.2017 की भी घटना का उल्लेख करते हुए दिनांक 09.09.2017 को बलात्कार करना बताया तथा बाद में कोर्ट में स्वयं के भाई द्वारा देख लेने का भी अभिकथन किया। पीडिता के साथ बलात्कार होने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराने के अगले ही दिन पीडिता का मेडिकल बोर्ड चिकित्सकीय परीक्षण किया गया लेकिन चिकित्सकीय परीक्षण से पीडिता के साथ बलात्कार किए जाने के संबंध में किसी प्रकार की कोई साक्ष्य प्राप्त नही हुई। पीडिता व अभियुक्त के अधोवस्त्रों की जब्ती के उपरांत एफएसएल से प्राप्त राय प्रदर्श पी 24 'inconclusive' रही जो कि किसी निश्चयात्मक सबूत को प्रदान नही कर पाई अभियोजन द्वारा प्रस्तुत पत्रावली पर उपलब्ध पेसेजर रजिस्टर प्रदर्श पी 19 जिसे प्रतिरक्षा साक्ष्य में भी प्रदर्शित कराया गया को पीडिता ने दौरान जिरह स्वीकार किया कि उक्त पेसेंजर रजिस्टर पर उपलब्ध उसके हस्ताक्षर है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत पेसेंजर रजिस्टर दिनांक 16.08.2017 को मरूधर गेस्ट हाउस में पीडिता के रूकने के संबंध में है जिसके संदर्भ में गवाह पृथ्वी सिंह ने सशपथ बयान दिया है कि पीडिता राजीखुशी वहां आई और रूकी थी। दिनांक 16.08.2017 की घटना के संदर्भ में पीडिता द्वारा कोई अभिकथन अपनी तहरीरी रिपोर्ट में नही किया है व दिनांक 09.09.2017 की घटना बताई है। इस संबंध में जब पीडिता न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुई है तो उसने प्रतिरक्षा में प्रस्तुत प्रदर्श डी 01 शपथपत्र विवाह बाबत व डी 02 स्टाम्प रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षरो को स्वीकार किया है व डी 03 फोटो अपनी व फुलचंद की होना व फुलचंद के साथ फोटो खींचवाना बताया है तथा वहां कोर्ट में परिवादिया के भाई का आ जाना अभिकथित करती है। उक्त समस्त प्रतिरक्षा साक्ष्य यह दर्शित करती है कि पीडिता के साथ उक्त समस्त कार्य बिना उसकी इच्छा के नही हुए। दिनांक 09.09.2017 को कहां बलात्कार हुआ ऐसा कोई घटना स्थल अनुसंधान अधिकारी के अनुसंधान से दर्शित नही है ना ही चिकित्सकीय साक्ष्य से प्रमाणित है बल्कि चिकित्सकीय परीक्षण से किसी प्रकार के लैंगिक हमला के कोई चिह्न प्राप्त नही हुए। पीडिता का भाई भी अभियोजन साक्षी के रूप में नही रखा गया। स्वयं पीडिता का यह भी अपनी जिरह में कहना है कि नक्शा मोका पर हस्ताक्षर थाने में करवाए। स्वयं पीडिता का कहना है कि

फुलचंद को जानती थी इसलिए वह उसके साथ मोटरसाईकिल पर बैठ गई अभियुक्त द्वारा किन्ही बल या प्रवंचनापूर्ण साधनों का प्रयोग किया गया हो ऐसा साक्ष्य से दर्शित नही होता है। तहरीरी रिपोर्ट में पीडिता द्वारा दो ढाई साल से बलात्कार करना व धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता व न्यायालय बयान में इस संबंध में कोई अभिकथन नही करना व विरोधाभासी प्रकृति के बयान गवाह को विश्वसनीय साक्षी की कोटि में नही रखते है स्वंय पीडिता 12वी कक्षा तक पढ़ी हुई होना उसके सशपथ बयान से दर्शित होता है। पीडिता के परिवारजन द्वारा दी गई साक्ष्य अनुश्रुत साक्ष्य है जो पीडिता द्वारा बताए गए अनुसार है अर्थात् उनका कोई स्वतंत्र वक्तव्य नही है व पीड़िता के भाई द्वारा कोर्ट में आ जाने पर अभियुक्त के साथ उसे देख लेना व घरवालो को सुचित करने पर इस संबंध में जानकारी प्राप्त होना सामने आता है, पीड़िता की तहरीरी रिपोर्ट से भी यह बात समर्थित होती है। प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी पक्षद्रोही घोषित हुए है व उनके द्वारा अभियोजन का समर्थन नही किया गया है।

(vii) इस प्रकार समग्र साक्ष्य से दर्शित होता है कि यदि पीड़िता के साथ उसकी सहमति व इच्छा के विरूद्ध उसके साथ दो ढाई साल से कोई कृत्य हो रहा था तो वह इसके संबंध में रिपोर्ट करा सकती थी लेकिन साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि दिनांक 16.08.2017 को पीड़िता व अभियुक्त मरूधर गेस्ट हाउस में राजीखुशी रूके थे व स्वंय पीड़िता ने प्रदर्श डी 01 विवाह बाबत् शपथपत्र पर अपने हस्ताक्षर, डी 02 स्टाम्प क्रय करने संबंधी रजिस्टर पर हस्ताक्षर व अभियुक्त के साथ अपनी फोटो डी 03 होना स्वीकार किया है तथा स्वीकार किया है कि जब विवाह बाबत् लिखा पढ़ी करी तभी उसका भाई आ गया। प्रतिरक्षा में अभियुक्त का यह कथन है कि पीडिता द्वारा अपने परिवार के दबाव में रिपोर्ट दर्ज कराई है वह उसके साथ शादी करना चाहती थी पीड़िता द्वारा भी अपने बयानो में इस तथ्य को स्वीकारा है। लिहाजा उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण के आलोक में अभियोजन पक्ष अभियुक्त फुलचंद पर आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 342, 366, 376, 376 (2)(एन) भारतीय दण्ड संहिता सन्देह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है, जिसके परिप्रेक्ष्य में अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है।

आदेश

(14) अतः अभियुक्त फूलचंद पुत्र सुवालाल मेघवाल, आयु 30 वर्ष, निवासी रामसर बलाईयान, पुलिस थाना ब्यावर सदर, जिला ब्यावर को अपराध अंतर्गत धारा 342, 366, 376, 376 (2)(एन) भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों से ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में **दोषमुक्त** घोषित किया जाता है।

(15) प्रकरण में जब्तशुदा माल का बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार निस्तारण किया जावे और अपील होने की सूरत में अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशानुसार माल का निस्तारण किया जावे।

(गिरिजा भारद्वाज)
अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 2,
ब्यावर, जिला ब्यावर (राज.)

(16) निर्णय आज दिनांक 16.03.2026 को लिखाया जाकर हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गिरिजा भारद्वाज)
अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 2,
ब्यावर, जिला ब्यावर (राज.)